



# स मा चार

रचना टावर योजना की आवास अवांटन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं  
आनलाइन की जावेगी  
लाटरी की प्रक्रिया निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवास  
समिति के समक्ष निकाली जावेगी  
आवासों का आधिपत्य 31 अगस्त तक दिये जाये : रामेश्वर शर्मा

भोपाल: 20 अगस्त, 2020

विधान सभा प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा ने आज विधान सभा में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा विधान सभा सदस्यों/पूर्व सदस्यों /संसद सदस्य/संसद पूर्व सदस्य हेतु निर्मित आवास रचना नगर टावर के संबंध में मध्यप्रदेश विधान सभा आवास समिति एवं सहकारिता मंत्री एवं आवास संघ के अध्यक्ष श्री अरविंद भदौरिया एवं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर दिनांक 21 अगस्त, 2020 को दोपहर 12:00 बजे रचना नगर स्थित स्थान पर होने वाली लाट्री एवं भवन संधारण/आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये -

1. दिनांक 21 अगस्त, 2020 दोपहर 12:00 बजे रचना नगर स्थित आवास परिसर पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ लाट्री की प्रक्रिया मापदण्ड अनुसार आवास समिति के समक्ष निकाली जावेगी । इस प्रक्रिया का संचालन आनलाइन बेवसाइट के माध्यम से सदस्यों को देखने को मिलगी ।
2. लाट्री में समस्त एच.आई.जी./सीनियर एम.आई.जी./जूनियर एम.आई.जी. शामिल किये जावेंगे ।
3. लाट्री में प्राप्त आवासों का सदस्यों को 31 अगस्त, 2020 तक आधिपत्य दिया जावेगा ।
4. आवास प्राप्तकर्ता सदस्यों द्वारा 15 मई, 2021 तक रजिस्ट्री कराना होगी ।
5. आधिपत्य प्राप्त होने के 02 माह तक भवन संबंधित संधारण/सुरक्षा का कार्य आवास संघ द्वारा किया जावेगा ।
6. अन्य रिक्त आवासों का आवास संघ के माध्यम से आवास समिति की अनुशंसा पर नियमानुसार अवांटन किया जावेगा ।

उक्त बैठक में आवास समिति के सभापति श्री यशपाल सिसोदिया एवं सदस्य श्री कुवर विक्रम सिंह, श्री दिव्यराज सिंह, श्री ठाकुरदास नागवंशी उपस्थित थे । बैठक के बाद आवास समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया ।

वि.स./ज.स./20

(नरेन्द्र मिश्रा)  
अवर सचिव